फर्द अहकाम

नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

रजाक खाँ बनाम फरीयाद खाँ आदि

किस्म मुकदमा :–212 आरटीएक्ट   मुकदमा नम्बर :– 29/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
15.05.2023	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एव प्रस्तुत दस्तावेज , शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि वे रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 69 के मु0न0 1 के किला न0 12 ता 14, 17 ता 19, 21 ता 24 की कुल 2.5300है0 को रहन–बैय तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। बैक ऋण (रोडा एक्ट) , रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP कार्य पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी वकील प्रार्थी तामिल हेतु तीन दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बध में अप्रार्थी को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्ट्रर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.06.23 को पेश हो।	
23/06/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थी दिनांक 14/08/23 को पेश हो।	
14/8/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी.......................... दिनांक..5/9/23...को पेश हो।	
5/9/23	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी.......................... दिनांक 20/10/23 को पेश हो।	
16/10/23	पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेश की गई। प्रार्थी ने जरिये वकील निवेदन किया कि वह इस पत्रावली में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इस स्टेज पर पत्रावली खारिज करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार है पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 RTAct इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम होकर शामिल रिकार्ड हो। उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	रजाक खाँ

Scanned with OKEN Scanner